रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1986/श्रावण 31, 1908
NO. 385] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1986/SRAVANA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1986.

अधिसूचना

सं. 393/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 1023(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 3304.00 के अन्तर्गत आने वाले रोधक क्रीमों को, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना मूल्य के बीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है:

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल ऐसे रोधक क्रीमों को लागू होगी जिनका विनिर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए जारी की गई अनुज्ञाप्ति के अधीन और उसके अनुसार किया जाता है।

[फा. सं. 103/8/85-सी एक्स-3]
एस. सी. जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd August, 1986

NOTIFICATION

No. 393|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1023 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Barrier Creams, falling under sub-heading No. 3304.00 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from so much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty per cent ad valorem :

Provided that the exemption contained in this notification shall apply to only such Barrier Creams which are manufactured under and in accordance with a licence issued for such purpose under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940).

[F. No. 103|8|85-CX. 3]
S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986